न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 469/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगू पुत्र प्रभु		1. गोपा पुत्र प्रभु
जाति–मेघवाल, निवासी–बलुपुरा,		2. घेवर पुत्र प्रभु
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		3. बींजा पुत्र प्रभु
		जाति–मेघवाल, निवासी–बलुपुरा,
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
		4. तहसीलदार, जैतारण
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.18/11/2015**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी एवं श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्तागण, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 10/07/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बलुपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 140 रकबा 12–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 147 रकबा 53–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता–3 कुल रकबा 72–08 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त जमीन की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 की प्रमाणित नकल दावा के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे दावा का एक भाग माना जावें। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही वंशज के हैं तथा सगे भाई हैं। इसलिए उक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर काबिज हैं व काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी का खाता शामलाती होने से वादी अपने हिस्से की जमीन कास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकता हैं न ही बैंक से ऋण ले सकता हैं न ही अपने हिस्से की जमीन में खाद डालकर उपजाऊ बना सकता हैं। इसलिए उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त आराजी पैतृक होने व उक्त आराजी का खाता शामलाती होने से सभी खातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर अधिकार हैं। इसलिए बिना बंटवाड़े किये ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक राय होकर उक्त आराजी पर पक्का निर्माण करने के लिए नींवे खोद दी हैं तथा अपने हिस्से से अधिक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं एवं वादी को खसरा नम्बर 82/1 से बेदखल करने पर आमादा हैं। इसलिए उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो जावें तब तक प्रतिवादीगण उक्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त आराजी भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त आराजी में ज्यादा संख्या में मजदूर व जे.सी.बी. मशीन लगाकर अपने हिस्से से ज्यादा जमीन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पर कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने पर उतारू हैं एवं बिना बंटवाड़े उक्त आराजी का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 लोगों के बहकावें व भू-माफिया की सिखावट में आकर उक्त आराजी पर अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर पक्का निर्माण कर बेचान कर देगें, तो वादी अपने जायज अधिकारों से वंचित हो जायेगा एवं वादी के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी एवं उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में खाता एक ही हैं एवं कानूनन बंटवाड़ा भी नहीं हो रखा हैं। इसलिए आये दिन बरसात के समय बुवाई के लिये झगड़ा होता हैं। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा हैं व बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो हर समय झगड़ा करता हैं एवं दिनांक 01/11/15 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने ऐलानिया कहा कि खसरा नम्बर 82/1 गांव के पास हैं एवं डामर सड़क के पास हैं। इसलिये उक्त जमीन में तुझे हिस्सा नहीं देगें। इस भ्र झूमि पर पक्का निर्माण जबरदस्ती कर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देगें। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त आराजी भूमि में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने व बेचान रहन आदि करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं। वादी अनपढ़ ग्रामीण क्षैत्र का काश्तकार व्यक्ति हैं। अगर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 आपस में एक राय होकर भू-माफिया के बहकावें में आकर किसी अजनबी व्यक्ति के पक्ष में बेचान, रहन, वसीयत कर देगें या उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर लाठी के बल पर कर देगें, तो वादी अपने जायज अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो जावें। तब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने व वादी का मौके पर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक हैं। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादी का बिनायवाद दिनांक 01/11/2015 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने व मौके पर बिना बंटवाड़े निर्माण नहीं करने का कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने व उक्त आराजी का बेचान करने के लिए जबरदस्ती नीवें खोदने की ऐलानिया धमकी देकर नीवे खोदनी शुरू कर देने पर बमुकाम-बलुपुरा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ। जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बलुपुरा, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/1591 दिनांक 31/08/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/3092 दिनांक 07/07/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलुपुरा, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गोपा पुत्र प्रभु कौम-भाम्बी सा0 देह खातेदार। रहन-एसबीबीजे शाखा-जैतारण।	82/1	1-16-00	बा0अ0	1.13 रू.
2	घेवर पुत्र प्रभु कौम-भाम्बी सा0 देह खातेदार। रहन-एसबीबीजे शाखा-निमाज।	82/3	1-17-00	बा0अ0	1.13 रू.
3	बीजा पुत्र प्रभु कौम-भाम्बी सा0 देह खातेदार।	82/4	1-16-00	बा0अ0	1.13 रू.
4	मांगू पुत्र प्रभु कौम-भाम्बी सा0 देह खातेदार। रहन-एसबीबीजे शाखा-निमाज।	82/5	1-17-00	बा0अ0	1.13 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)